संख्या-14/001/50डब्लू-26-27-3099-4-2026

प्रेषक,

चन्द्र भूषण
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 23 मार्च, 2026

विषयः अवमाननावाद (सिविल) संख्या-1125/2026 मे0 सिंह इण्टरप्राइजेज व अन्य बनाम संदीप कुमार, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-104/मु०अ०(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/बाणसागर, दिनांक 09.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त बाणसागर नहर निर्माण खण्ड-8, मीरजापुर से संबंधित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-34775/2025 मे0 सिंह इण्टरप्राइजेज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 5 अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 तथा अवमाननावाद (सिविल) संख्या-1125/2026 मे0 सिंह इण्टरप्राइजेज व अन्य बनाम संदीप कुमार, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 18.02.2026 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 2,32,44,721.00 (दो करोड़, बत्तीस लाख चवालिस हजार सात सौ इक्कीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 2,32,44,721.00 (दो करोड़, बत्तीस लाख चवालिस हजार सात सौ इक्कीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14-24 भारित मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दम-2025-231/2025, दिनांक 27-मार्च 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
चन्द्र भूषण
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।

(6) मुख्य अभियन्ता (बाणसागर), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।

(7) अनु सचिव (लेखा) / आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) कोषाधिकारी, मीरजापुर।

(9) अधीक्षण अभियन्ता, बाणसागर नहर निर्माण मण्डल-2, मीरजापुर।

(10) अधिशासी अभियन्ता, बाणसागर नहर निर्माण खण्ड-8, मीरजापुर।

(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।